अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :—

प्रकरण सख्या:—99/22 हेमराज गुर्जर (आरएएस)

जीसीएमएस नं. 2022/225 दायर दिनांक:— 18.07.2022

1. कमलसिंह पुत्र टुण्डा राम जाति गुर्जर निवासी कोचर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी सामन्तपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0
2. जयसिंह पुत्र टुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी कोचर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी सामन्तपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0

—–वादीगण

बनाम

1.पुखराज पुत्र टुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी कोचर तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी सामन्तपुरा तहसील भुसावर जिला भरतपुर

2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर

—–प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —श्री सुरेन्द्र चौधरी वादी अधिवक्ता
श्री राजेश कुमार पाण्डेय प्रति.सं.1 अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 06.10.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए के तहत पेश किया गया इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ख.न. 575 रकबा 1.4600 हेक्टेयर में वादी संख्या एक कमलसिंह 1/3 हिस्से का व वादी संख्या 2 जयसिंह 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या एक पुखराज 1/3 हिस्से का व आराजी खसरा नम्बर 578 रकबा 2.3100 हेक्टेयर में वादी संख्या एक कमलसिंह 1/3 हिस्से का वादी संख्या 2 जयसिंह 1/6 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या एक पुखराज 1/2 हिस्से का वाके ग्राम जसवर तहसील भुसावर जिला भरतपुर में खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं तथा इसी प्रकार से मौके पर काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। व राज लगान राज्य सरकार को अदा कर रहे हैं। उपरोक्त विवादित आराजीयात वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या एक की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है जिसका विभाजन अभी तक वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या एक के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। परन्तु मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादी अपने—अपने हिस्से अनुसार मनवट के तौर पर विभाजन करते हुए काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रतिवादी संख्या एक बहुत ही चतुर एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है जो लट्ठ व ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजी में से अच्छी—अच्छी व मौके की आराजी पर जबरन कब्जा करते हुए वादीगण को अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम करना चाहते हैं। एवं प्रतिवादी संख्या एक अच्छी—अच्छी आराजी को अपने बिना विभाजन कराए ही दीगर व्यक्तियों के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। अतः हम वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

... आदि स्वीइ निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तल्बी जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादी संख्या एक की ओर से श्री राजेश कुमार पाण्डेय अधिवक्ता उपस्थित आए उनके द्वारा जबाव पेश नहीं किया उनका जबाव बंद किया गया तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति के आधार पर दिनांक 14.11.2022 को दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया गया था तहसीलदार भुसावर को विभाजन प्रस्ताव बावत् लिखा गया। तहसीलदार भुसावर द्वारा विभाजन प्रस्ताव उनके पत्रांक/एलआर/2023/2635 दिनांक 05.06.2023 से भिजवाया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस अधिवक्ता सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/एलआर/2023/2635 दिनांक 05.06.2023 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक को खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे, विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री तैयार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)